भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
15.12.2021 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2911 का उत्तर

रेलटेल के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई

2911. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के विभिन्न आरोपों में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के सदस्यों में से एक सदस्य के खिलाफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सदस्य के विरुद्ध रेलवे के सतर्कता विभाग द्वारा क्या कार्रवाई शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुमानित समय क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): जी हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कथित अनियमितताओं के लिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल के एक सदस्य के खिलाफ बड़ी शास्ति की कार्यवाही करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त होने के बाद, इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) एक बड़ी शास्ति (अनुशासन और अपील नियम) कार्यवाही में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार, चार्ज मेमोरैंडम जारी होने के पश्चात् इसका निपटान 18 महीने के भीतर कर दिया जाना चाहिए।

*****